

रघुवीर शरण

विरुद्ध

जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक एवं अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 2024 का 2764)

10 सितंबर 2024

[न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा* एवं प्रसन्ना बालचंद्र वराले]

विचारणीय बिंदु

क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 132 के अंतर्गत संरक्षण का हकदार है, क्योंकि उसका कथन परिवादी / प्रत्यर्थी बैंक के साक्षी के रूप में समन-पूर्व स्तर में अभिलिखित किया जा चुका था?

शीर्ष टिप्पणियाँ

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 319- जब आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, तो अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी बैंक के साक्षी के रूप परीक्षित किया गया था, जिसमें उसने सावधि जमा की अवधि को 3 साल से 10 साल और बाद में 15 साल में बदलने की बात स्वीकार की थी - अपीलकर्ता का यह कथन, 19.03.2016 को समन-पूर्व स्तर में अभिलिखित किया गया था - पश्चातवर्ती, परीक्षण के दौरान, अ.सा.-1 की 31.03.2022 का मुख्य परीक्षण कराया गया, जिसमें उसने कथन किया कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट दस्तावेज़ में फेरफार किया था - तत्पश्चात, प्रत्यर्थी बैंक ने अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त बनाने के लिए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया - अपीलकर्ता ने दण्डिक पुनरीक्षण याचिका, जिसे खारिज़ किया गया - निर्णय की शुद्धता हेतु :

अवधारित: इस प्रकरण में, इस मामले में, अपीलकर्ता को न केवल उसके समन-पूर्व कथन के आधार पर अपितु अ.सा.-1 के कथन के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया है, जिसका 31.03.2022 को साक्षी के रूप में परीक्षण किया

गया था - यदि अपीलकर्ता को उसके कथन के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में प्रस्तावित किया गया होता, तो उसे 19.03.2016 को उसके समन-पूर्व कथन दर्ज किए जाने के तुरंत बाद बुलाया जाता - इस प्रकार, वर्तमान मामला ऐसा है जहां अपीलकर्ता को अ.सा.-1 के कथन के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया है - धारा 132 का परंतुक आत्म-अभिशासन के विरुद्ध वैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसा कोई उत्तर, जिसे देने के लिए किसी साक्षी को बाध्य किया जाएगा, उसे किसी भी गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा या ऐसे उत्तर द्वारा झूठे साक्ष्य देने के लिए अभियोजन को छोड़कर किसी भी आपराधिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा - इस प्रकार, एकमात्र सुरक्षा यह है कि किसी साक्षी को उसके स्वयं के कथन के आधार पर अभियोजित नहीं किया जा सकता है - इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को पूर्ण और निर्बाध उन्मुक्ति प्राप्त है, भले ही उसके विरुद्ध अन्य पर्याप्त साक्ष्य या सामग्री हो, जो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता को साबित करती हो - इस विवाद्यक पर लौटते हुए कि क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है, यह देखा जाना चाहिए कि 31.03.2022 को विचारण के दौरान अभिलिखित किये गए उसके कथन में, अ.सा.-1 ने मुख्य परीक्षा के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता के प्रथमाक्षर और हस्ताक्षर में द्रव का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ किया गया है - इस प्रकार, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है (कंडिका 24, 25, 27)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 132 का परन्तुक:

अवधारित : अधिनियम की धारा 132 का प्रावधान इस कहावत पर आधारित है *Nemo Tenetor prodere seipsum*, कि कोई भी व्यक्ति खुद को अपराधी बनाने और खुद को खतरे में डालने के लिए बाध्य नहीं है - इस संबंध में इंग्लैंड में कानून (कुछ अपवादों के साथ) यह है कि किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति साक्षी को उजागर करने या साक्षी को किसी आपराधिक आरोप, शास्ति या संपहरण के लिए प्रेरित करने की हो - यह विशेषाधिकार सभी व्यक्तियों को साक्ष्य के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित है, तथा ऐसा करने के परिणामस्वरूप उन्हें यथासंभव चोट या अनावश्यक परेशानी से बचाता है - यह पूर्ण विशेषाधिकार, कुछ मामलों में न्याय की विफलता का कारण बनता है, क्योंकि बहाने की अनुमति के कारण, विशेष रूप से जब जिस मामले से संबंधित प्रश्न था, वह केवल साक्षी के ज्ञान में था, न्यायालय को उस जानकारी से वंचित कर दिया जो सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक थी - इस असुविधा से बचने के लिए, अधिनियम की धारा 132 ने इस पूर्ण विशेषाधिकार को वापस ले लिया और केवल एक सापेक्ष विशेषाधिकार प्रदान किया - साक्षी को गवाही देने से

छूट का दावा करने के विशेषाधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जाता है; लेकिन, उसे मजबूर करते हुए, झूठ बोलने के किसी भी प्रलोभन को दूर करने के लिए, विधानमंडल ने घोषणा की कि इस तरह से प्राप्त साक्ष्य का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय अधिनियम में घोषित उद्देश्य के (कंडिका 12, 13)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 132 क्या अधिनियम की धारा 132 के परन्तुक के अंतर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार, उस व्यक्ति को पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिसने साक्षी के रूप में साक्ष्य दिया है (और स्वयं को दोषी ठहराने वाले कथन दिए हैं), इस बात के होते हुए भी कि अभियोजन पक्ष के पास अन्य सामग्री उपलब्ध हो?

अवधारित : अधिनियम की धारा 132 के परन्तुक के अन्तर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे जाएं ताकि न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके - इस न्यायालय के विचार में, यह समझ से परे है कि साक्ष्य अधिनियम में एक प्रावधान, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी सामग्री न्यायालय के समक्ष हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय के उद्देश्य पूरे हों, अपने आप में एक साक्षी (भले ही वह दोषी हो) को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है - ऐसी व्याख्या अस्थिर होगी - कहने की जरूरत नहीं है कि उसके कथन का इस्तेमाल ऐसे साक्षी को प्रकरण में लाने के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता - इसलिए अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अन्तर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार उस व्यक्ति को अभियोजन से पूरी तरह से छूट नहीं देता है जिसने साक्षी के रूप में साक्ष्य दिया है (और खुद को दोषी ठहराने वाले कथन दिए हैं) (कंडिका 20)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास क्या उपाय है, जब विचारण के दौरान साक्षी (जिसके खिलाफ अपराध साबित करने वाली सामग्री उपलब्ध है) के कथन के अलावा अन्य साक्ष्य लाये जाते हैं? क्या न्यायालय धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए साक्षी के कथन पर भरोसा कर सकता है? क्या साक्षी द्वारा दिए गए किसी भी कथन का संदर्भ धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश को दूषित कर देगा?

अवधारित : धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रायल कोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, केवल इसलिए कि एक व्यक्ति, जो सहभागी प्रतीत होता है, ने साक्षी के रूप में गवाही दी है - धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने का निष्कर्ष, विचारण के दौरान सामने आए साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए - साक्षी के कथन के अलावा ट्रायल कोर्ट के सामने अतिरिक्त, ठोस सामग्री होनी चाहिए - किसी साक्षी के विरुद्ध धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू करने का आदेश, जिसने प्रकरण मुकदमे में साक्ष्य दी है

और खुद को दोषी साबित करने वाले साक्ष्य पेश किए हैं, का परीक्षण इस आधार पर किया जाएगा कि क्या केवल ऐसे दोषी कथन ने ही धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश का आधार बनाया है - साथ ही, ऐसे कथन का संदर्भ मात्र आदेश को रद्द नहीं करेगा - परीक्षण यह होगा कि यदि साक्षी के कथन को विचार से हटा भी दिया जाए, तो क्या अन्य अपराधिक सामग्री के आधार पर न्यायालय धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता था (कंडिका 22, 23)

उद्धृत न्याय दृष्टांत

सान्दर्भिक प्रकरण: आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक और अन्य द्वारा [2015] 5 एस.सी.आर 605 : (2015) 7 एस.सी.सी. 497; शशि जीना एवं अन्य बनाम खडाल स्वेन एवं एक अन्य [2004] 2 एस.सी.आर 260 : (2004) 4 एस.सी.सी. 236; कवीन बनाम गोपाल दोस एवं अन्य आईएलआर 3 मद्रास 271

पुस्तके एवं पत्रिकाएं

वुड्रॉफ और अमीर अली, साक्ष्य का कानून, इक्कीसवाँ संस्करण, 2020 पृ.4377 (सिन 132.1; डब्ल्यू एम बेस्ट , ए साक्ष्यों के सिद्धांतों पर ट्रीटीज़, चौथा संस्करण, एच स्वीट, लंदन, 1866, पृष्ठ 126 का **सन्दर्भ दिया गया** ।

अधिनियमों की सूची

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872; दंड प्रक्रिया संहिता 1973; भारत का संविधान

कीवर्ड की सूची

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 132; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319; समन पूर्व कथन स्तर पर साक्षी के कथन; दस्तावेज़ का फेरफार; अतिरिक्त अभियुक्त; Nemo Tenetur prodere seipsum; पूर्ण विशेषाधिकार; सापेक्ष विशेषाधिकार; व्यापक प्रतिरक्षा; अपराध में फ़साने वाला साक्ष्य, अतिरिक्त सामग्री; ठोस सामग्री.

आपराधिक अपीलीय/ अंतर्निहित क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 2024 का 2764 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 2023 का 1925 में दिनांक 09.11.2023 में पारित निर्णय व आदेश एवं दाण्डिक अपील क्रमांक 2764/2024 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 508/2024 से उदभूत।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

विवेक के तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री काजल शर्मा, राजीव बखशी, विपुल तिवारी - **अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण**

सौरभ मिश्रा, अनूप जॉर्ज चौधरी, श्रीमती जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, शिवांग रावत, सुश्री अमृता कुमारी सर्व ऋतम खरे आकाश शुक्ला - **प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण**

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

आपराधिक अपील क्रमांक 2764/2024

1. अपीलार्थी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण 2023 का 1925 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 09.11.2023 को चुनौती देना चाहता है जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973¹ की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश 17.04.2023 की पुष्टि की गई है।

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि वर्ष 1998 में, राजेंद्र भारती नामक व्यक्ति, परिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1² जो अब परिसमापन के अधीन है, अध्यक्ष था। प्रासंगिक समय पर, अभियुक्त सावित्री श्याम (अब मृत), (अभियुक्त राजेंद्र भारती की माँ) ने श्याम सुंदर श्याम संस्थान, दतिया, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, प्रत्यर्थी बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए 10,00,000/- रुपये की सावधि जमा करने के लिए 24.08.1998 को आवेदन किया। यह राशि प्रत्यर्थी बैंक में क्रमशः 8.5 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये की 2 अलग-अलग जमाओं के माध्यम

से जमा की गई थी। हालांकि, बाद में, इन चालानों को अपीलकर्ता के नाम के अन्तर्गत प्रक्षेपित किया गया था, जो प्रासंगिक समय पर प्रत्यर्थी बैंक के कैशियर के रूप में काम कर रहा था। फेरफार के कारण, जालसाजी करके 3 साल की सावधि जमा को 10 साल की सावधि जमा में बदल दिया गया। बैंक खाता बही में भी फेरफार और जालसाजी की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता के नाम के अन्तर्गत "3 साल" की अवधि को "15 साल" कर दिया गया था।

3. जब आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, तो अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी बैंक के साक्षी के रूप परीक्षित किया गया था, जिसमें उसने सावधि जमा की अवधि को 3 साल से 10 साल और बाद में 15 साल में बदलने की बात स्वीकार की थी। अपीलकर्ता का यह कथन, 19.03.2016 को समन- पूर्व स्तर में अभिलिखित किया गया था। हालांकि, बाद में, परीक्षण के दौरान, अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार की 31.03.2022 का मुख्य परीक्षण कराया गया, जिसमें उसने कथन किया कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट दस्तावेज़ में फेरफार किया था।

4. अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार का कथन अभिलिखित होने के बाद, प्रत्यर्थी बैंक ने अपीलकर्ता और राकेश भारती (राजेंद्र भारती के भाई) को अतिरिक्त अभियुक्त बनाने के लिए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया।

5. विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.04.2023 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को समन जारी करके आंशिक रूप से आवेदन स्वीकार कर लिया, जबकि राकेश भारती के मामले को खारिज कर दिया। समन जारी करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ 15.06.2023 को आरोप विरचित किए जा चुके हैं।

6. विचारण न्यायालय के दिनांक 17.04.2023 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हालांकि, उक्त निर्णय और आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

निवेदन

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक के. तन्खा ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872³ की धारा 132 के अन्तर्गत लाभ पाने का हकदार था और उसे उसके द्वारा दिए गए कथन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोपी के रूप में समन के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग केवल उस मामले में किया जा सकता है जब अपराध के संबंध में व्यक्ति के खिलाफ गंभीर संदेह को

प्रकट करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री हो। आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक और अन्य द्वारा का संदर्भप्रस्तुत किया गया।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा ने तर्क दिया कि चूंकि अपीलकर्ता को 31.03.2022 को सुनवाई के दौरान अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार द्वारा दिए गए कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, न कि अपीलकर्ता के 19.03.2016 को लेखबद्ध किये गए समन-पूर्व कथन के आधार पर, इसलिए, अधिनियम की धारा 132 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होती। यह भी तर्क दिया गया है कि समन-पूर्व चरण में लेखबद्ध किया गया कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने शशि जेना और अन्य बनाम खादल स्वैन और अन्य में माना है।⁵

विक्षेपण

9. यहां विवादक यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत संरक्षण का हकदार है? क्योंकि उसका कथन परिवादी /प्रत्यर्थी बैंक के साक्षी के रूप में पूर्व सम्मन चरण में अभिलिखित किया गया था।

10. आगे बढ़ने से पहले, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 132 में निहित प्रावधानों को संदर्भित करना और पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा: -

"132. 'साक्षी को इस आधार पर उत्तर देने से छूट नहीं दी जा सकती कि उत्तर से अपराध सिद्ध होगा।'

किसी साक्षी को किसी वाद या किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में विवादक मामले से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराधी बना देगा या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपराधी बनाने की प्रवृत्ति रखता है, या यह ऐसे साक्षी को किसी प्रकार के दंड या जब्ती के लिए उजागर करेगा या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उजागर करने की प्रवृत्ति रखता है:-

परंतुक: परन्तु यह कि ऐसा कोई उत्तर, जिसे देने के लिए किसी साक्षी को बाध्य किया जाएगा, उसे किसी गिरफ्तारी या अभियोजन का विषय नहीं बनाएगा या उसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में साबित नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के।"

11. अधिनियम की धारा 132 तथा उसके परंतुक में निहित प्रावधानों के व्यापक अर्थ तथा महत्व को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, विशेष रूप से, उस सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है जिसके आधार पर प्रावधान को कानून में शामिल किया गया है।

12. अधिनियम की धारा 132 का प्रावधान इस कहावत पर आधारित है *Nemo Tenetor prodere seipsum* कि कोई भी व्यक्ति खुद को अपराधी बनाने और खुद को खतरे में डालने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में इंग्लैंड में कानून (कुछ अपवादों के साथ) यह है कि किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति साक्षी को उजागर करने या साक्षी को किसी आपराधिक आरोप, शास्ति या संपहरण के लिए प्रेरित करने की हो।⁶ यह विशेषाधिकार सभी व्यक्तियों को साक्ष्य के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित है, तथा ऐसा करने के परिणामस्वरूप उन्हें यथासंभव चोट या अनावश्यक परेशानी से बचाता है।⁷ यह पूर्ण विशेषाधिकार, कुछ मामलों में न्याय की विफलता का कारण बनता है, क्योंकि बहाने की अनुमति के कारण, विशेष रूप से जब जिस मामले से संबंधित प्रश्न था, वह केवल साक्षी के ज्ञान में था, न्यायालय को उस जानकारी से वंचित कर दिया जो सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक थी।

13. इस असुविधा से बचने के लिए, अधिनियम की धारा 132 ने इस पूर्ण विशेषाधिकार को वापस ले लिया और केवल एक सापेक्ष विशेषाधिकार प्रदान किया। साक्षी को गवाही देने से छूट का दावा करने के विशेषाधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जाता है; लेकिन, उसे मजबूर करते हुए, झूठ बोलने के किसी भी प्रलोभन को दूर करने के लिए, विधानमंडल ने घोषणा की कि इस तरह से प्राप्त साक्ष्य का उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय अधिनियम में घोषित उद्देश्य के।

14. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 132 का प्रावधान भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत प्रदत्त संरक्षण का विस्तार है, जो एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि "किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा"। संवैधानिक योजना के तहत, यह अधिकार केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, अधिनियम की धारा 132 का प्रावधान, विस्तार में, किसी साक्षी के पक्ष में वैधानिक प्रतिरक्षा बनाता है जो किसी मुकदमे या किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य देने की प्रक्रिया में ऐसा कथन देता है जो खुद को अपराधी बनाता है। यह तय है कि अधिनियम की धारा 132 का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अन्तर्गत निहित सिद्धांत का एक आवश्यक परिणाम है जो एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि "किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा"।⁸

15. विधायी इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि कानून का उद्देश्य ऐसे साक्ष्य को प्राप्त करना है जो प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। इस तरह की वैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य

न्यायालय को न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम बनाना था (और इस प्रकार कानून की प्रक्रिया में सहायता करना)।

16. **आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त)** में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने "द क्वीन बनाम गोपाल डोस एवं अन्य"⁹ के मामले में न्यायमूर्ति मुत्तुसामी अय्यर की राय का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी कि अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत नीति यह प्रतीत होती है कि न्यायालय के समक्ष लाए गए मामले में न्याय करने के लिए साक्ष्य को किसी भी स्रोत से प्राप्त करना है। ऐसे साक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान, यदि कोई साक्षी जो शपथ के कारण सत्य कथन करने के लिए बाध्य है, कोई ऐसा कथन देता है जो ऐसे साक्षी को अपराधी ठहराता है या उसे "किसी प्रकार के दंड या संपहरण आदि" के लिए उजागर करता है, तो प्रावधान ऐसे साक्षी को यह घोषित करके प्रतिरक्षा प्रदान करता है कि "साक्षी द्वारा दिया गया ऐसा कोई भी उत्तर उसे किसी गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा या किसी भी आपराधिक कार्यवाही में उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा"। **आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त)** में इस न्यायालय ने पैरा 47 में आगे टिप्पणी की कि न्यायालय के समक्ष "साक्षी " के रूप में गवाही देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए "उत्तर" के आधार पर अधिनियम की धारा 132 के दायरे में आने वाले साक्षी के विरुद्ध कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। हम **आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त)** में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्य हमें इस मामले पर एक अलग परिप्रेक्ष्य में विचार करने के लिए विवश करते हैं कि जब एक साक्षी द्वारा दिए गए अपने कथन के अतिरिक्त, क्या वह अभी भी अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अन्तर्गत संरक्षित है, जब उसके खिलाफ अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए अन्य सामग्री है। **आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त)** में एक साक्षी जिसकी सुनवाई के दौरान अ.सा -64 के रूप में परीक्षण किया गया, उसे धारा 319 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक आवेदन पेश करके बुलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने खारिज करने के आदेश की पुष्टि की। हाई कोर्ट ने उक्त मामले में पैरा 64 में कहा कि सत्र मामले में उसके साक्ष्य के आधार पर अ.सा. -64 को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाकर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालाँकि, हाई कोर्ट ने माना कि अ.सा -64 पर भारतीय दंड संहिता, 1860¹⁰ की धारा 120-बी के साथ आईपीसी की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध के लिए अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर अ.सा -64 के धारा 164 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कथन और सत्र मामले में उसके साक्ष्य के अलावा अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हों, तो उसे अन्य आरोपियों के साथ मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

17. इस न्यायालय ने आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त) मामले में इस विवाद्यक पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अन्तर्गत संरक्षित साक्षी पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि स्वतंत्र साक्ष्य भी उपलब्ध हो, पैरा 7 और 52 में इस प्रकार टिप्पणी की गई है:

"7. हमारी राय में, उपरोक्त उद्धृत पैरा 64 में निहित उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया दूसरा निष्कर्ष वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद्यक के संदर्भ में अनावश्यक है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या सत्र न्यायालय द्वारा सत्र मामला संख्या 73/2009 में अतिरिक्त आरोपी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अ.सा -64 को बुलाने से इनकार करना उचित था। इसलिए, हम केवल इस प्रश्न की जांच करेंगे कि क्या पहले उल्लेखित तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अ.सा -64 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए बाध्य है।

52. उपर्युक्त दो निर्णयों के आलोक में, यह प्रस्ताव कि क्या अभियोजन पक्ष को आपराधिक अभियोजन में किसी भी व्यक्ति से साक्षी के रूप में पूछताछ करने की स्वतंत्रता है, भले ही अभियोजन एजेंसी के पास यह इंगित करने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो कि ऐसा व्यक्ति भी उस अपराध के लिए संलिप्त है जिसके लिए अन्य अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, इस पर गहन परीक्षण की आवश्यकता है।"

18. दूसरे शब्दों में, यदि अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अन्तर्गत साक्षी को उपलब्ध कराए गए विशेषाधिकार की व्याख्या अन्य साक्ष्यों की उपलब्धता के बावजूद पूर्ण उन्मुक्ति के रूप में की जाती है, तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। किसी विशेष मामले में, एक बेईमान विवेचना अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत रिपोर्ट में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में उद्धृत कर सकता है, जबकि उसे पूरी तरह से पता है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध में फ़साने वाली सामग्री है। इसी तरह, किसी अपराध में सहभागी व्यक्ति, धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवाद दर्ज कर सकता है, खुद को साक्षी के रूप में परख सकता है, खुद को दोषी ठहराने वाले कथन दे सकता है और अभियोजन से छूट का दावा कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक विवेचना अधिकारी, एक सदभावी गलती के अन्तर्गत मामले में एक साक्षी के रूप में अपराध में सहभागी व्यक्ति की जांच करता है, अन्य सबूतों की जांच करने पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि साक्षी अपराध में सहभागी था, तब सवाल यह होगा कि क्या न्यायालय पर ऐसी अन्य सामग्री के आधार पर ऐसे साक्षी पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर पूरी तरह से रोक होगी।

19. क्या अधिनियम की धारा 132 के परन्तुक के अंतर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार, उस व्यक्ति को पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिसने साक्षी के रूप में साक्ष्य दिया है (और स्वयं को दोषी ठहराने वाले कथन दिए हैं), इस बात के होते हुए भी कि अभियोजन पक्ष के पास अन्य सामग्री उपलब्ध हो?

क. क्या किसी न्यायालय को किसी अपराध पर विचारण करते समय, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर, उक्त कार्यवाही में किसी साक्षी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने से रोका गया है?

20. जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 132 के परन्तुक के अन्तर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे जाएं ताकि न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। हमारे विचार में, यह समझ से परे है कि साक्ष्य अधिनियम में एक प्रावधान, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी सामग्री न्यायालय के समक्ष हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय के उद्देश्य पूरे हों, अपने आप में एक साक्षी (भले ही वह दोषी हो) को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। हमारे विचार में ऐसी व्याख्या अस्थिर होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि उसके कथन का इस्तेमाल ऐसे साक्षी को मुकदमे में लाने के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अन्तर्गत सापेक्ष विशेषाधिकार उस व्यक्ति को अभियोजन से पूरी तरह से छूट नहीं देता है जिसने साक्षी के रूप में गवाही दी है (और खुद को दोषी ठहराने वाले कथन दिए हैं)।

21. हालांकि, अगला सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास क्या उपाय है, जब विचारण के दौरान साक्षी (जिसके खिलाफ अपराध साबित करने वाली सामग्री उपलब्ध है) के कथन के अलावा अन्य साक्ष्य लाये जाते हैं ? क्या न्यायालय धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए साक्षी के कथन पर भरोसा कर सकता है? क्या साक्षी द्वारा दिए गए किसी भी कथन का संदर्भ धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश को दूषित कर देगा?

22. धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रायल कोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, केवल इसलिए कि एक व्यक्ति, जो सहभागी प्रतीत होता है, ने साक्षी के रूप में गवाही दी है। धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने का निष्कर्ष, परीक्षण के दौरान सामने आए साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। साक्षी के कथन के अलावा ट्रायल कोर्ट के सामने अतिरिक्त, ठोस सामग्री होनी चाहिए।

23. किसी साक्षी के विरुद्ध धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू करने का आदेश, जिसने मुकदमे में गवाही दी है और खुद को दोषी साबित करने वाले साक्ष्य पेश किए हैं, का परीक्षण इस आधार पर किया जाएगा कि क्या केवल ऐसे दोषी कथन ने ही धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश का आधार बनाया है। साथ ही, ऐसे कथन का संदर्भ मात्र आदेश को रद्द नहीं करेगा। परीक्षण यह होगा कि यदि साक्षी के कथन को विचार से हटा भी दिया जाए, तो क्या अन्य अपराधिक सामग्री के आधार पर न्यायालय धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता था।

24. इस मामले में, अपीलकर्ता को न केवल उसके समन-पूर्व कथन के आधार पर बल्कि अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार के कथन के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया है, जिसका 31.03.2022 को साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया था। यदि अपीलकर्ता को उसके कथन के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में प्रस्तावित किया गया होता, तो उसे 19.03.2016 को उसके समन-पूर्व कथन दर्ज किए जाने के तुरंत बाद बुलाया जाता। इस प्रकार, वर्तमान मामला ऐसा है जहां अपीलकर्ता को अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार के कथन के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया है।

25. धारा 132 का परंतुक आत्म-अभिज्ञान के विरुद्ध वैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसा कोई उत्तर, जिसे देने के लिए किसी साक्षी को बाध्य किया जाएगा, उसे किसी भी गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं करेगा या ऐसे उत्तर द्वारा झूठे साक्ष्य देने के लिए अभियोजन को छोड़कर किसी भी आपराधिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, एकमात्र सुरक्षा यह है कि किसी साक्षी को उसके स्वयं के कथन के आधार पर अभियोजित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को पूर्ण और निर्बाध उन्मुक्ति प्राप्त है, भले ही उसके विरुद्ध अन्य पर्याप्त साक्ष्य या सामग्री हो, जो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता को साबित करती हो। यदि इस पूर्ण उन्मुक्ति को अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के अंतर्गत पढ़ा जाए, तो एक प्रभावशाली व्यक्ति एक बेईमान विवेचना अधिकारी की मदद से उसे साक्षी के रूप में जांच करके कानूनी ढाल प्रदान करेगा, भले ही मामले में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपराध में उसकी संलिप्तता स्पष्ट हो।

26. जैसा कि पहले कहा गया है, आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना के मामले में, पिछले कंडिका में चर्चा किए गए विवाद्यक का परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए, आर. दिनेश कुमार उर्फ दीना (उपरोक्त) अपीलकर्ता के मामले में सहायक नहीं है।

27. इस विवाद्यक पर लौटते हुए कि क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री

है, यह देखा जाना चाहिए कि 31.03.2022 को विचरण के दौरान अभिलिखित किये गए उसके कथन में, अ.सा.-1/नरेंद्र सिंह परमार ने मुख्य परीक्षा के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता के प्रथमाक्षर और हस्ताक्षर में द्रव का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ किया गया है। इस प्रकार, धारा 319 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है।

28. पूर्वोक्त के कारण, आपराधिक अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा एतद्वारा खारिज की जाती है।

आपराधिक अपील क्रमांक 2764/2024 में अवमानना याचिका (सी) क्रमांक 508/2024 @ विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) क्रमांक 3419/2024।

29. आपराधिक अपील में पारित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में, इस अवमानना याचिका में कार्यवाही बंद कर दी गई है और इसमें पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम : अपील खारिज।

अवमानना याचिका निराकृत किया जाता है।

* द्वारा

1. 'दंड प्रक्रिया संहिता '
2. 'प्रत्यर्थी बैंक'
3. अधिनियम की धारा
4. [2015] 5 एससीआर 605 : (2015)7 एससीसी 497
5. [2004]2 एससीआर 260:(2004) 4 एससीसी 236
6. देखें वुड्रोफ और अमीर अली, साक्ष्य का कानून, इक्कीसवाँ संस्करण, 2020 पृ.4377 (Syn 132.1) आर बनाम गोपाल दास, (1881) 3 मद्रास 271
7. डब्ल्यूएम बेस्ट, साक्ष्य के सिद्धांतों पर एक ग्रंथ, चौथा संस्करण, एच स्वीट, लंदन, 1866, पृष्ठ 126
8. लक्ष्मीपत चोरारिया बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1968 एससी 938
9. आईएलआर 3 मद्रास 271
10. 'आईपीसी'

शीर्ष टिप्पणियाँ : अंकित ज्ञान

सोनम पाण्डेय द्वारा अनुवादित।